रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 25 अगस्त, 2005/3, भाद्रपद, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कारण बताओ नोटिस

शिमला-9, 11 अगस्त, 2005

संख्या पी0 सी0 एच-एच0 ए0 (5) 82/2003-सुंगरा-14908-14.—यह कि श्री हरवंस सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा, विकास खण्ड निचार, जिला किन्नौर को उपायुक्त, किन्नौर द्वारा उप-मण्डलाधिकारी (ना0), निचार द्वारा की गई छानबीन तथा अंकेक्षण में पाई गई विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं के दृष्टिगत दिनांक 6-7-2005 को प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा के पद से निलम्बित किया गया ;

यह कि उपायुक्त, किन्नौर द्वारा मामले की वातस्तविकता जानने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 (1) के अन्तर्गत जिला पंचायत अधिकारी, किन्नौर को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच सौंपी गई ;

2076-राजपत्र/2005-25-8-2005—1,459. (2751) मूल्य : 1 रुपया।

यह कि जांच अधिकारी द्वारा की गई विस्तृत जांच रिपोर्ट उपायुक्त, किन्नौर के माध्यम से दिनांक 21-7-2005 को निदेशालय में प्राप्त हुई तथा प्राप्त जांच रिपोर्ट में दर्शाये गये तथ्यों का बारीकी से अध्ययन करने उपरांत जो आरोप उनके विरुद्ध सिद्ध पाये गये हैं, उनका विवरण निम्न है :—

भाग-क

उप-मण्डलाधिकारी (ना0), निचार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित आरोपों की जांच :

1. दिनांक 6-6-2000 को जय प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से मु0 3,00,000 रुपये प्राप्त हुआ था जिसमें से दिनांक 12-6-2000 को चैक नम्बर–85581 सहकारी बैंक भावानगर से मु0 1,25,000 रुपये का सामान खरीद के लिए निकासी दिखाई गई है परन्तु कैश बुक व वाउचर के अवलोकन से पाया गया कि मु0 4760 रुपये प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा द्वारा दिनांक 9-7-2000 तक अनाधिकृत रूप से अपने पास रखा। वाऊचर के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम डमलिंग, थानग व बारो के लिए बिजली का सामान खरीदा गया है। वाऊचर भी जाली प्रतीत होते हैं। इसके पश्चात् दिनांक 6-10-2000 को भी मुबलिग 40,080 रुपये का सामान गांव राकंपा में बिजली के ऊपर खर्च किये दर्शाये हैं वाउचर नम्बर–444, 445, 446 दिनांक 12-6-2000 व वाउचर नम्बर 448, दिनांक 6-10-2000 के मुताबिक सामान मैं0 नेगी कर्मशियल सैन्टर भावानगर से क्रय किया गया है जोकि जाली प्रतीत होते हैं। निरीक्षक आबकारी एवं कराधान निचार की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि दिनांक 12-6-2000 को मैं0 नेगी कर्मशियल सैन्टर ने बिजली का सामान बेचा ही नहीं है केवल कैश मैमों ही बनाये हैं क्योंकि सेल्ज टैक्स रजिस्टर में इन कैश मैमो का इन्द्राज नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि वाउचर मिलीभगत से जाली बनाये गये हैं तथा मौका पर इतना भारी कार्य नहीं किया गया है। रोकड़ बही की जांच से भी आरोप सत्य पाया गया है तथा सचिव, ग्राम पंचायत सुगरा ने भी इस बात की पुष्टि की है। मुबलिग 4760 रुपये की पंचायत निधि को इतने समय तक अकारण अपने पास रखना वित्तीय नियमों की उल्लंघना है व आपत्तिजनक है। निरीक्षक आबकारी एवं कराधान निचार की रिपोर्ट के अवलोकन के पश्चात् यह आरोप सत्य प्रमाणित होता है कि मैं0 नेगी कर्मशियल सैन्टर ने उपरोक्त सामान बेचा ही नहीं है। ग्राम डमरिंग, थानग व बारो में स्ट्रीट लाइटों की जांच हेतु मौका पर जांच निरीक्षण भी किया गया जिसके अनुसार कुल 131 स्ट्रीट लाईटें लगाई गई थीं जिसमें से केवल 7 चालू हालत में हैं।

2. दिनांक 20-4-2003 को प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा द्वारा मु0 35,000 रुपये का आहरण कर अनाधिकृत रूप से अपने पास रख कर सरकारी धनराशि का दुरुपयोग किया है जोकि आपत्तिजनक व नियमों के विरुद्ध है।

3. दिनांक 20-8-2003 को मु0 25,000 रुपये की धनराशि की निकासी दिखाई गई है जिसका कोई भी हिसाब अभिलेखों/रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है इस बात की पुष्टि रोकड़ बही के अवलोकन से की गई तथा सचिव, ग्राम पंचायत सुंगरा द्वारा भी प्रमाणित किया गया है।

4. प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा द्वारा अपनी निजी गाड़ी से शौचालय निर्माण भावानगर के लिए दिनांक 7-9-2003 को मु0 20,000 रुपये बावत सीमेंट, रेता, बजरी शौचालय निर्माण भावानगर के लिए निकासी की है। वाउचर पर प्रधान के हस्ताक्षर हैं व गाड़ी नम्बर एच0 पी0–26–230 अंकित है जो प्रधान की निजी गाड़ी है। जो कि आपत्तिजनक है क्योंकि इस कृत्य से प्रधान द्वारा अपने हित में स्वरोजगार उत्पन्न किया है। इस बात की पुष्टि सचिव, ग्राम पंचायत सुगरा ने की है तथा सी0 जे0 एम0 कोर्ट में पड़े रिकार्ड की जांच से इस आरोप की पुष्टि की गई है।

5. श्री हरबंस सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा को उपायुक्त द्वारा दिनांक 1-9-2003 को अयोग्य घोषित किया गया था परन्तु इसके बावजूद भी दिनांक 3-9-2003 को श्री हरबन्स सिंह व सचिव के हस्ताक्षर से मु0 70,000 का आहरण व वितरण किया गया है जब कि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं थे।

6. वाउचर नम्बर 5, मु0 12,000 रुपये पत्थर तुड़ाई के तीर्थ बहादुर मार्फत श्री हरवंस सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा को अदायगी दिखाई गई है परन्तु प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर रसीद पर नहीं हैं तथा न ही रसीदी टिकट लगाया गया है जिससे स्पष्ट है कि मु0 12,000 रुपये का फर्जी वाउचर तैयार किया गया। रिकार्ड की जांच से यह आरोप सत्य पाया गया।

7. कैश मैमो नं0 466, दिनांक 10-7-2000 को मै0 नेगी कर्मशियल सेन्टर भावानगर द्वारा 70 बैग सीमेंट ग्राम पंचायत, सुंगरा के लिए विक्रय किया गया दिखाया गया है तथा राशि की अदायगी प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा द्वारा प्रमाणित की गई है। वाउचर फर्जी तैयार किया गया प्रतीत होता है क्योंकि उक्त कार्य का कैश मैमो नं0 444, 445 व 446, दिनांक 12-6-2000 तथा कैश मैमो नं0 448, दिनांक 6-10-2000 का है जिसमें प्रधान ग्राम पंचायत सुंगरा ने बिजली का सामान क्रय किया दर्शाया है जिसकी विस्तृत टिप्पणी आरोप संख्या-1 पर है। रिकार्ड के अवलोकन व छानबीन में यह आरोप सही पाया गया है।

8. वाउचर संख्या-8 प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा द्वारा मु0 2940 रुपये की राशि की फर्जी अदायगी दर्शाई है क्योंकि प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर ही नहीं हैं। रसीद पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर न होना आपत्तिजनक है। सचिव, ग्राम पंचायत सुंगरा ने भी इस आरोप को स्वीकार किया है।

9. दिनांक 8-8-2000 को ग्राम पंचायत, सुंगरा की बैठक हुई कार्यवाही रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-101 पर प्रस्ताव संख्या-2 व प्रस्ताव संख्या-4 बारे टिप्पणी नहीं है इसी प्रकार पृष्ठ संख्या-117 पर प्रस्ताव संख्या-2 आय-व्यय बारे अधूरी टिप्पणी अंकित है आधा पृष्ठ खाली छोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त पृष्ठ संख्या-119, 120, 121 व 122 भी रिक्त छोड़े गये हैं, दिनांक 20-6-2001 को ग्राम पंचायत सुंगरा की मासिक बैठक में प्रस्ताव संख्या-13 जो कि पृष्ठ 168 पर अंकित है में आय-व्यय बारे वर्णन है। परन्तु काफी जगह खाली छोड़ी गई है। पृष्ठ संख्या-182 भी आधा खाली छोड़ा गया है। कार्यवाही के दूसरे रजिस्टर जो दिनांक 20-12-2001 से आरम्भ किया गया है के पृष्ठ संख्या-13 व 14 खाली छोड़े गये हैं। दिनांक 3-11-2002 को कार्यवाही प्रस्ताव संख्या-6 पृष्ठ संख्या-86 व 87 भी खाली छोड़े गये हैं जबकि इन पृष्ठों पर प्रधान के हस्ताक्षर मौजूद हैं। पृष्ठ संख्या-167 आधा व 168 पूर्ण खाली छोड़े गये हैं। दिनांक 5-8-2003 प्रस्ताव संख्या-2 जिसमें आय-व्यय का वर्णन दर्ज है भी बाद में अंकित किया गया है और आधा पृष्ठ खाली छोड़ा गया है। इसी प्रकार प्रस्ताव संख्या-5 आय-व्यय विवरण प्रस्ताव संख्या 9 आय-व्यय सत्यापन भी बाद में दूसरी स्याही से जोड़ कर अनियमितता की है। इस प्रकार दिनांक 20-8-2003 की कार्यवाही पृष्ठ 177 पर अंकित है। जिसमें पृष्ठ संख्या-179 तक किसी अन्य व्यक्ति ने कार्यवाही अंकित की है जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कार्यालय अभिलेखों में सरकारी धन राशि के आहरण एवं वितरण का ब्यौरा बाद में दर्ज किया गया है। इसी प्रकार दिनांक 5-10-2003 को ग्राम सभा सुंगरा की तृतीय बैठक पृष्ठ संख्या-183 से 185 तक अंकित है, परन्तु प्रस्ताव संख्या-4 पृष्ठ संख्या-184, 185, 186, 187 व 188 पूर्ण रूप से खाली छोड़े गये हैं। यह आपत्तियां अंकेक्षण में भी पाई गई हैं। कार्यवाही रजिस्टरों के पृष्ठों को खाली अथवा आधा खाली रखने से बिना चर्चा अपनी मर्जी से मद व प्रस्ताव लिखने की आशंका बनी रहती है जो कि अलोकतान्त्रिक व नियमों के विरुद्ध है।

10. स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण रोजगार योजना के वाउचर नम्बर 5 दिनांक, 5-5-2003 जिनके द्वारा चार गाड़ी रेता की कीमत की अदायगी मुबलिग 12,000 रुपये श्री शिव कुमार पुत्र श्री मैन्थ राम, निवासी सुंगरा को दत्तनगर से सुंगरा किया गया है इसी प्रकार वाउचर नम्बर 18, दिनांक 6-5-2003 द्वारा दो गाड़ी रेता की अदायगी मुबलिग 6,000 रुपये श्री हरीश चन्द पुत्र श्री डी0 एन0 नेगी, निवासी ग्राम पंचायत निचार को भी दत्तनगर से सुंगरा का किया है, वाउचर नम्बर 21, जिसके द्वारा दो गाड़ी रेता की कीमत मु0 6,000 रुपये दिनांक 8-5-2003 को श्री दिनेश कपिल पुत्र श्री हेम राज कपिल, निवासी ग्राम भावानगर की गई है, परन्तु यह नहीं दर्शाया गया है कि यह रेता कहां से लाया गया है। वाउचर नम्बर 57 व 59, दिनांक शून्य के द्वारा श्री दिनेश कपिल, ग्राम भावानगर को मु0 3,000 रुपये एक गाड़ी की अदायगी की गई है। उपरोक्त रेत की सारी गाड़ी दत्तनगर से लाई गई है। यह काबिले गौर है कि भावानगर में रेत खान मौजूद है तथा फिर भी रेता दत्तनगर से लाया गया

। इससे स्पष्ट होता है कि प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा ने सरकारी धनराशि का पूर्ण रूप से दुरुपयोग किया है ।

11. विलेज एजुकेशन कमेटी की नस्ति से पाया गया कि वाउचर नम्बर 1, दिनांक 6-4-2003 को श्री सन्त बहादुर पुत्र श्री कर्ण बहादुर, निवासी भावानगर को दो रुपये प्रति पत्थर के हिसाब से मु0 25,000 रुपये की रसोद बनाई गई है । इतनी भारी भरकम राशि की अदायगी फर्जी प्रतीत होती है । दिनांक 20-7-2003 को कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत सुंगरा का प्रस्ताव संख्या–9 विभिन्न कार्य योजनाओं के वाउचरों के सत्यापन का इन्द्राज दूसरी स्याही व कर्मचारी द्वारा अंकित है, बाद में कार्यवाही बन्द नहीं की गई है इस इन्द्राज हेतु मु0 49,800 रुपये के लिए बाद में प्रस्ताव अंकित किया गया है, जो नियमों के विरुद्ध है ।

भाग–ख

जिला पंचायत अधिकारी के अंकेक्षण दल द्वारा समीक्षा रिकार्ड पर आधारित जांच रिपोर्ट :

1. अंकेक्षण अवधि में विकास कार्य के लिए क्रय की गई सामग्री रेता, सीमेंट, ईंट पत्थर, चादरें इत्यादि क्रय करने से पूर्व कुटेशनें नहीं ली गई हैं जो कि नियमों के विरुद्ध है इस बात की पुष्टि सचिव, ग्राम पंचायत सुंगरा ने भी की है ।

2. दिनांक 30-6-2003 रोकड़ पृष्ठ 122 राशि मु0 30,262 रुपये भवन निर्माण उप-खजाना निचार मस्ट्रोल नंबर 59 मास 5/2003, दर्ज रोकड़ है जिसमें 16 मजदूर कार्यरत थे, क्रम संख्या–2 विनोद पुत्र लाल बहादुर की मजदूरी मु0 2437.50 पैसे बनती है प्राप्ति रजिस्टर पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं जिससे प्रतीत होता है कि उक्त मजदूर को मजदूरी नहीं मिली है । क्रम संख्या–1 पर बाबू राम पुत्र डण्डा वीर मेट को 30 दिनों का मु0 81.25 पैसे की दर से 30 दिन की मजदूरी मु0 2437.50 पैसे दी गई है जबकि मेट की दर 63.75 पैसे के हिसाब से मु0 1912.50 बनती है इस प्रकार मु0 525 रुपये अधिक दिये गये हैं ।

3. दिनांक 5-7-2003 रोकड़ पृष्ट 125 राशि मु0 6196 रुपये निर्माण पक्का रास्ता आत्म प्रकाश के मकान से चेत राम के मकान तक मस्ट्रोल मास जून, 2003 दर्ज रोकड़ है जिसमें 18 मजदूर कार्यरत थे । मजदूरों की हाजरी 18 तारीख तक लगाई गई है । क्रम संख्या–1 लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री धनी राम, क्रम संख्या–2 श्री आत्म प्रकाश पुत्र श्री लफवनर, क्रम संख्या 7 श्रीमती ठाकुर दासी पत्नी श्री मारन सिंह को 19 तारीख को वैतनिक अवकाश की मजदूरी दी गई है जब मस्ट्रोल में कार्य 18 तारीख तक किया गया है तो क्रम संख्या 1, 2 व 7 को वैतनिक अवकाश की मजदूरी क्यों दी गई, जो कि अवैध है तथा मु0 208.75 पैसे की राशि का दुरुपयोग किया गया है ।

4. दिनांक 30-4-2003 रोकड़ पृष्ठ 121 राशि 12,445 रुपये निर्माण कार्य शास्त्री के घर से देवर राम के घर तक मस्ट्रोल संख्या 1096/57, में दिनांक 1-5-2003 से 31-5-2003 तक जारी किया है, मस्ट्रोल में कुल 13 मजदूर कार्यरत थे, क्रम संख्या, 1, 2, 4 से 7 व 9 से 13 की हाजरियां मस्ट्रोल में एक तारीख से लगी हैं जबकि क्रम संख्या 3 मिस्त्री लाल बहादुर पुत्र श्री चिगवान व क्रम संख्या 8 हुम बहादुर पुत्र नवराज की हाजरियां 6 तारीख से लगी हैं इस प्रकार मस्ट्रोल में क्रम संख्या 4 से 7 व 9 से 13 की हाजरियां पहले आनी थी व क्रम संख्या 3 व 8 की हाजरियां बाद में आनी थी । अतः स्पष्ट है कि मस्ट्रोल मौका पर तैयार नहीं किया जाता है जो कि अनियमितता है । क्रम संख्या 4 से 7 व 9 से 13 की 5/5 दिन की हाजरियां अवैध हैं जससे स्पष्ट होता है कि मु0 2886.75 पैसे की धन राशि का दुरुपयोग किया गया है ।

5. दिनांक 5-7-2003 रोकड़ पृष्ठ 124 राशि मु0 15,000 रुपये निर्माण कार्य राजकीय प्राथमिक पाठशाला सुंगरा कैश मेमो/रसीद कपिला ब्रदर्स 3000 ईंट की अदायगी दर्ज रोकड़ है परन्तु व्यय प्रमाणित नहीं है ।

6. दिनांक 27-1-2004 रोकड़ पृष्ठ 132 राशि मु0 8500 रुपये मानदेय पंच दर्ज रोकड़ दिखाया गया है। पंच श्रीमती जंगमनी को दिनांक 1-4-2003 से 30-11-2003 तक का मु0 1200 रुपये दिये गये परन्तु प्राप्ति पर हस्ताक्षर नहीं हैं ।

7. रोकड़ बही तथा कार्यवाही पुस्तिका के निरीक्षण के उपरान्त पाया गया कि रोकड़ पृष्ठ 118, दिनांक 30-4-2003 को मु0 4575 रुपये तथा 1800 रुपये की राशियों को व्यय करने हेतु आवश्यक वाउचर पंचायत द्वारा पारित नहीं करवाये गये। रोकड़ बही के पृष्ठ 122 दिनांक 30-6-2003 में दर्ज मु0 24000 रुपये राशि का व्यय करने हेतु मस्टोल संख्या 275 के प्रति स्वीकृति नहीं ली गई । इसी तरह पृष्ठ 124 दिनांक 5-7-2003 पर दर्ज राशियों मु0 10000, 6000 रुपये, 4000 रुपये, 760 रुपये तथा 14240 रुपये के वाउचर व्यय करने की स्वीकृति नहीं ली गई है जबकि पृष्ठ 125 व 127 दिनांक 5-7-2003 व 31-8-2003 को दर्ज क्रमशः मु0 1811 रुपये व 850 रुपये के वाउचर व्यय करने की स्वीकृति भी नहीं ली गई है ।

8. अंकेक्षण पत्र के पैरा नं0 2(ख) क्रम संख्या 13 व 14 निम्न सभी राशियों का व्यय पंचायत प्रस्ताव नं0 2, दिनांक 5-11-2003 व प्रस्ताव संख्या 9, दिनांक 20-8-2003 को कार्यवाही में पारित किया गया है । कोरम 3/9 व 5/10 का था जो कि पूर्ण न था। अतः दिनांक 30-6-2003 को रोकड़ पृष्ठ 121 अनुसार मु0 9100 रुपये, रोकड़ पृष्ठ 122 पर 4146 तथा 11,700 रुपये तथा दिनांक 5-7-2003 को रोकड़ पृष्ठ 123 अनुसार मु0 3000, 8175 रुपये, 3600 रुपये, 9000 रुपये, 17000 रुपये, 400 रुपये, 3600 रुपये तथा रोकड़ पृष्ठ 124 अनुसार मु0 2700 रुपये, 17000 रुपये, 6000 रुपये तथा मु0 700 रुपये का व्यय अवैध है ।

9. अंकेक्षण पत्र के पैरा 2-ख क्रम संख्या–18 में दिये गये दिनांक को कार्यवाही रजिस्टर में पृष्ठ संख्या के कुछ पन्ने खाली जोड़े गये जो कि नियम के विरुद्ध है । इस आरोप की जांच हेतु सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिकाओं का निरीक्षण किया गया तथा जांच के उपरांत पाया गया कि पृष्ठ संख्या 101, दिनांक, 8–8–2000 के प्रस्ताव संख्या–2 में आधा पृष्ठ, पृष्ठ संख्या–119 से 122 (दिनांक 4-11-2000), पृष्ठ संख्या 177 व 178 (दिनांक 1-7-2001), रजिस्टर कार्यवाही 11 के पृष्ठ संख्या 13 व 14 (दिनांक 20-1-2002), पृष्ठ संख्या 86 व 87 (दिनांक 3-11-2002) तथा पृष्ठ संख्या 167 व 168 (दिनांक 6-7-2003) पूर्णतः खाली रखे गये हैं जबकि पृष्ठ संख्या 183, 185 (5-8-2003) तथा पृष्ठ संख्या 186 से 188 (दिनांक 5-8-2003) पूर्णतः खाली रखे गये है । इनका विवरण जांच रिपोर्ट के भाग–क में आरोप संख्या 9 में दिया गया है। इस प्रकार कार्यवाही रजिस्टरों के पृष्ठों को खाली रखा जाना अत्यन्त आपत्तिजनक एवम् नियमों के विरुद्ध है ।

10. अंकेक्षण पत्र के पैरा संख्या 8 क्रम संख्या 2, श्री हरबंस सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत के पास मु0 20,000 रुपये कैश बही पृष्ठ संख्या 128, दिनांक 3-9-2003, मु0 35,000 रुपये कैश बुक पृष्ठ 13, दिनांक 30-4-2003, मु0 25,000 रुपये रोकड़ पृष्ठ 14, दिनांक 30-8-2003 व मु0 15,000 रुपये रोकड़ पृष्ठ 7, दिनांक 20-4-2001 पेशगी के रूप में है जो राशि मु0 95,000 बनती है । इतनी अधिक राशि पेशगी के रूप में प्रधान द्वारा अपने पास रखना वित्तीय नियमों की उल्लंघना है तथा आपत्तिजनक है ।

11. एन0 जे0 पी0 सी0 अंकेक्षण पत्र का पैरा नम्बर 2-ख (व्यय) की ओर टिप्पणियां के क्रम संख्या 1 व 2 के अनुसार एन0 जे0 पी0 सी0 से मु0 3.00 लाख रुपये वर्ष 2000 में प्राप्त हुए थे । उक्त राशि में से ग्राम सभा ने 5 विकास कार्यों में राशि व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की परन्तु पंचायत ने केवल 1,33,549 रुपये ग्राम सभा द्वारा पारित योजनाओं में व्यय किए । शेष राशि ग्राम पंचायत ने अपनी मर्जी से व्यय किया जो कि आपत्तिजनक है । परन्तु गत अंकेक्षण दिनांक 12-7-2003 को अंकेक्षण को इससे सम्बन्धित रोकड़ तथा वाउचर जानबूझ कर प्रस्तुत न करना नियमों के विरुद्ध है ।

12. अंकेक्षण पत्र में क्रम संख्या 5,6,7,8,9 में वर्णित विभिन्न योजनाओं के मु0 23,210.75 पैसे के वाउचर अपूर्ण पाये गये हैं ।

13. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना अंकेक्षण पत्र के पैरा नम्बर 2-ख (3) में रु0 208.75 पैसे की वसूली प्रधान से की जानी है जो निर्माण कार्य पक्का रास्ता मस्ट्रोल पर अधिक व्यय हुआ है।

उपरोक्त वर्णित आरोपों के अतिरिक्त जांच के दौरान रिकार्ड के निरीक्षण से पाया गया कि मस्ट्रोल संख्या 1/2001, दिनांक 1-2-2003 से 31-1-2003 में रु0 29,958 रुपये रोकड़ में दर्ज हैं जबकि मस्ट्रोल द्वारा दी गई राशि का वास्तविक जोड़ कुल 27,521.25 पैसे बनता है। इस प्रकार रु0 2436.75 पैसे का अधिक भुगतान किया गया है।

जांच रिपोर्ट में दर्शाये गये विभिन्न आरोपों के तहत प्रधान द्वारा कुल रु0 1,24,569 रुपये की राशि का दुरुपयोग किया गया है। इस प्रकार श्री हरबंस सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा से ब्याज सहित कुल रु0 1,40,845 रुपये वसूली योग्य बनती है तथा ग्राम पंचायत सुंगरा के रिकार्ड रोकड़ बही पृष्ठ संख्या–16, दिनांक 17-7-2004 अनुसार रु0 1,24,569 रुपये की राशि प्रधान द्वारा पंचायत खाते में जमा कर दी है तथा ब्याज की राशि उनसे वसूली जानी शेष है।

अतः उक्त प्रधान द्वारा बरती गई विभिन्न वित्तीय अनियमितताओं तथा अपने कर्त्तव्य निर्वहन में आपत्तिजनक कार्यकलापों के फलस्वरूप वह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) (ख) के अन्तर्गत अवचार के दोषी हैं भले ही प्रधान ने राशि पंचायत खाते में जमा कर दी है।

अतः इस कारण बताओ नोटिस के माध्यम से श्री हरबंस सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा को निर्देश दिए जाते हैं कि उपरोक्त कृत्यों के लिए क्यों न उन्हें प्रधान पद से निष्कासित किया जाये। वह उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर उक्त नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर दें। उनका उत्तर निर्धारित अवधि में प्राप्त न होने पर यह समझा जायेगा कि वह अपने पक्ष में कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। जिला पंचायत अधिकारी, किन्नौर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

आदेश

शिमला–9, 11 अगस्त, 2005

संख्या पो0 सी0 एच0–एच0 ए0 (5) 114/2003-14583-89. यह कि श्रीमती नीलम राणा, प्रधान, ग्राम पंचायत बद्देड़ा, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के विरुद्ध श्री अजय सिंह पुत्र स्व0 श्री0 महावीर सिंह, निवासी ग्राम बद्देड़ा की शिकायत पर श्री बलदेव कुमार (अंकेक्षक), विकास खण्ड, हरोली द्वारा की गई प्रारम्भिक छानबीन के आधार पर उपायुक्त, ऊना द्वारा उन्हें प्रधान, ग्राम पंचायत, बद्देड़ा के पद से दिनांक 31-12-2003 को निलम्बित किया गया;

यह कि मामले की वास्तविकता जानने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत उपायुक्त, ऊना के कार्यालय आदेश संख्या पंच-ऊना (4)-4/92-430, दिनांक 9-6-2004 द्वारा नियमित जांच उप–मण्डलाधिकारी (ना0), ऊना, जिला ऊना को सौंपी गई;

यह कि जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट उपायुक्त, ऊना के माध्यम से दिनांक 17-7-2004 को निदेशालय में प्राप्त हुई तथा जांच रिपोर्ट में दर्शाए गए तथ्यों का बारीकी से अध्ययन करने उपरान्त पाया गया कि वर्ष 2000–2001 में खण्ड विकास अधिकारी, गगरेट के कार्यालय पत्र संख्या बी0 के0 बी0 एन0 वाई0/2001/डी0 बी0 जी0/4180, दिनांक 18-1-2001 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बद्देड़ा को रु0 30,000 रुपये की राशि की स्वीकृति निर्माण रास्ता "रेशमी के घर से लखबीर के घर तक" हेतु प्राप्त हुई थी, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव

पास कर निर्माण रास्ता "रेशमी के घर से लखबीर के घर तक" के बजाए निर्माण रास्ता "लोहारा–नरखाना" बनाया गया। योजना में फेरबदल ग्राम पंचायत द्वारा अपनी मर्जी से किया गया है। भले ही योजना में फेरबदल ग्राम पंचायत की सहमति से किया गया हो फिर भी प्रधान, ग्राम पंचायत बढेडा को ग्राम पंचायत का मुखिया होने के नाते उक्त योजना में फेरबदल हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी चाहिए थी। अतः श्रीमती नीलम राणा, प्रधान, ग्राम पंचायत बढेडा को कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाही के आरोप से दोषमुक्त नहीं किया जा सकता।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अधीन जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146 की उप-धारा (1-क) के अन्तर्गत प्राप्त हैं, श्रीमती नीलम राणा, प्रधान, ग्राम पंचायत बढेडा को भविष्य में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में सतर्क रहने के लिए चेतावनी दी जाती है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव (पंचायती राज)।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित